झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका सं०- 2335/2018

1. श्रवण कुमार सिंह उर्फ श्रवण कुमार
2. रीना देवी उर्फ रीना कुमारी
3. सुमन कुमार
4. मिथिला देवी
5. मुन्ना शर्मा
6. मोनू कुमार
7. सिकंदर कुमार ..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. मीरा कुमारी ..... **विपक्ष**

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी

याचिकाकर्ताओं की ओर से : श्री विशाल कुमार तिवारी, अधिवक्ता
राज्य की ओर से : श्री सूरज देव मुंडा, ए.पी.पी.
विपक्षी संख्या 2 के लिए : सुश्री कुमारी रश्मि, अधिवक्ता

06/31.01.2024 याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री विशाल कुमार तिवारी, राज्य के विद्वान वकील श्री सूरज देव मुंडा और विपक्षी संख्या 2 की विद्वान वकील सुश्री कुमारी रश्मि को सुना गया।

2. यह याचिका एस.टी. केस संख्या 244/2017 में पारित दिनांक 04.06.2018 के आदेश को रद्द करने के लिए दायर की गई है, जो सदर थाना केस संख्या 92/2016 से उत्पन्न हुआ है, जिसके तहत विद्वान न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को रांची में विद्वान अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त-III की अदालत में लंबित धारा 319 सीआरपीसी के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया है।

3. प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी व्यक्ति, जो याचिकाकर्ता हैं, उनके साथ पवन कुमार सिंह को यह आरोप लगाकर फंसाया गया था

कि विपक्षी संख्या 2 की शादी पवन कुमार सिंह से हुई थी। उसकी शादी के कुछ समय बाद, प्राथमिकी में नामित सभी व्यक्ति मोटरसाइकिल और पैसे की मांग करने लगे। उक्त जानकारी विपक्षी संख्या 2 के पिता को दी गई थी। कुछ समय बाद जब उक्त मांग पूरी हो गई, तो आरोपी व्यक्ति खेलगांव में अपार्टमेंट खरीदने के लिए पैसे की मांग करने लगे। यह भी आरोप लगाया गया कि 11.02.2016 को जब विपक्षी संख्या 2 के पिता, माता और बड़ी बहन रांची आए थे, तब सभी आरोपी व्यक्ति घर में मौजूद थे और उन्होंने पैसे की मांग शुरू कर दी और सूचक के पिता द्वारा 50,000/- रुपये का भुगतान किया गया। विपक्षी संख्या 2 के परिवार के सदस्य जब बाजार गए हुए थे, तब आरोपियों ने विपक्षी संख्या 2 के साथ मारपीट की, लेकिन इसी बीच विपक्षी संख्या 2 के पिता, माता और बड़ी बहन घर पर वापस आ गए और विपक्षी संख्या 2 की तलाशी लेने पर पाया कि विपक्षी संख्या 2 के हाथ-पैर बंधे हुए थे और किसी तरह से उसे बचाया। इसके बाद अन्य आरोपी घर के अंदर आ गए और सूचक की मां, पिता और बहन के साथ मारपीट करने लगे। इसके बाद विपक्षी संख्या 2 के पिता के अनुरोध पर आरोपियों ने उन्हें घर से जाने दिया और किसी तरह से वे जहानाबाद वापस गए और जहानाबाद में अपना इलाज शुरू किया और इसी बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री विशाल कुमार तिवारी ने कहा कि याचिकाकर्ता संख्या 1 बड़ा देवर है, याचिकाकर्ता संख्या 2 बड़ी भाभी है, याचिकाकर्ता संख्या 3 देवर है, याचिकाकर्ता संख्या 4 सास है तथा याचिकाकर्ता संख्या 5, 6 और 7 सूचक के पड़ोसी हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले की जांच की है तथा केवल पति पवन कुमार सिंह के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया है तथा इन याचिकाकर्ताओं को सुनवाई के लिए नहीं भेजा गया है, तथापि, विद्वान न्यायालय ने इन याचिकाकर्ताओं को सीआरपीसी की धारा 319 के तहत सुनवाई का सामना करने के लिए कहा है, जिसमें कहा गया है कि पी.डब्लू. 1, 2 और 3 ने इन याचिकाकर्ताओं का नाम लिया है। उन्होंने आगे कहा कि उक्त आदेश कानून के अनुसार नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि किसी गवाह के साक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो केवल तभी न्यायालय को धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। इस तर्क को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा **हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य** के मामले में पारित निर्णय पर भरोसा किया, जो **(2014) 3 एससीसी**

92 में रिपोर्ट किया गया था और उन्होंने उक्त निर्णय के पैराग्राफ 105 और 106 का संदर्भ दिया, जो इस प्रकार निर्धारित करते हैं:

> "**105.** धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति एक विवेकाधीन और असाधारण शक्ति है। इसका प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए और केवल उन मामलों में किया जाना चाहिए जहां मामले की परिस्थितियां ऐसा करने की मांग करती हैं। इसका प्रयोग इसलिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायाधीश की राय है कि कोई अन्य व्यक्ति भी उस अपराध को करने का दोषी हो सकता है। केवल तभी जब अदालत के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से किसी व्यक्ति के खिलाफ मजबूत और ठोस सबूत मिलते हैं, ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए और लापरवाही से नहीं।
>
> **106.** इस प्रकार, हम मानते हैं कि यद्यपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित किया जाना है, जिसे आवश्यक रूप से जिरह के आधार पर परखा नहीं जा सकता, इसके लिए केवल उसकी संलिप्तता की संभावना से कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की आवश्यकता है। जो परीक्षण लागू किया जाना है वह है जो आरोप तय करने के समय किए गए प्रथम दृष्टया मामले से कहीं अधिक है, लेकिन इस हद तक संतुष्टि से कम है कि साक्ष्य, यदि अखंडित हो जाता है, तो दोषसिद्धि की ओर ले जाएगा। ऐसी संतुष्टि के अभाव में, न्यायालय को धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करने से बचना चाहिए। धारा 319 सीआरपीसी में यह प्रावधान करने का उद्देश्य कि यदि "साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त न होते हुए भी किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है" तो "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर अभियुक्त के साथ मुकदमा चलाया जा सकता है" शब्दों से स्पष्ट है। इस्तेमाल किए गए शब्द "जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर दोषसिद्धि की जा सकती है" नहीं हैं। इसलिए, धारा 319 सीआरपीसी के तहत काम करने वाली अदालत के लिए अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई राय बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है।

5. उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दलील दी कि पी.डब्लू.- 1 मुखबिर का पिता है, पी.डब्लू.- 2 स्वयं मुखबिर है और पी.डब्लू.- 3 मुखबिर की मां है। उन्होंने दलील दी कि ये सभी गवाह हितबद्ध गवाह हैं और इन पहलुओं की जांच पुलिस द्वारा पहले ही की जा चुकी है और उसके बाद आरोप-पत्र दाखिल किया गया है और इन याचिकाकर्ताओं को सुनवाई के लिए नहीं भेजा गया है। उन्होंने दलील दी कि यांत्रिक तरीके से उक्त आदेश पारित किया गया है।

6. राज्य के विद्वान वकील श्री सूरज देव मुंडा ने कहा कि गवाहों ने इन याचिकाकर्ताओं का नाम लिया है और इसके मद्देनजर, विद्वान न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को धारा 319 सीआरपीसी के तहत मुकदमे का सामना करने के लिए सही कहा है।

7. राज्य के विद्वान वकील के उक्त तर्क को विपक्षी पक्ष संख्या 2 की विद्वान वकील सुश्री कुमारी रश्मि द्वारा दोहराया जा रहा है और उनका कहना है कि ठोस सामग्री मौजूद है और उसके मद्देनजर, धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का विद्वान न्यायालय द्वारा सही ढंग से प्रयोग किया गया है।

8. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और अन्य धाराओं और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत पंजीकृत है। पुलिस ने मामले की जांच की है और पति, अर्थात् पवन कुमार सिंह के खिलाफ ही अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया है और इन याचिकाकर्ताओं को परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया है, हालांकि, विद्वान न्यायालय ने कहा कि पी.डब्लू.- 1, 2 और 3 ने इन याचिकाकर्ताओं का नाम लिया है और इसके मद्देनजर, उन्होंने धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग किया है।

9. यह भी स्वीकार किया गया है कि पी.डब्लू.- 1 मुखबिर का पिता है, पी.डब्लू.- 2 स्वयं मुखबिर है और पी.डब्लू.- 3 मुखबिर की मां है। इस प्रकार, ये सभी गवाह हित गवाह हैं और मामले का यह पहलू पहले से ही पुलिस के समक्ष था, जिन्होंने इन याचिकाकर्ताओं को दोषमुक्त करते हुए अंतिम प्रपत्र प्रस्तुत किया है।

10. इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई ठोस कारण हो तो न्यायालय धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकता है। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत मामला है। आजकल इस धारा का दुरुपयोग किस तरह किया जा रहा है, इसका उल्लेख माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में किया है।

11. इसके अलावा, धारा 319 सीआरपीसी के तहत उक्त आवेदन मुखबिर द्वारा दायर किया गया था, हालांकि, तर्क में विद्वान एपीपी ने विद्वान न्यायालय की सहायता की है। यह ऐसा मामला नहीं है कि विद्वान न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाने के लिए अपने स्वतंत्र न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल किया है। याचिकाकर्ताओं का नाम एफ.आई.आर में था और इसके बावजूद, पुलिस ने यह

मानते हुए अंतिम फॉर्म जमा नहीं किया है कि जांच में इन याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कुछ भी नहीं आया है। यहां तक कि याचिकाकर्ताओं में से तीन मुखबिर के पड़ोसी हैं और उन्हें भी भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत एक मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए विद्वान न्यायालय द्वारा बुलाया गया है।

12. हरदीप सिंह (सुप्रा) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय के मद्देनजर, यह अच्छी तरह से स्थापित है कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत किसी भी ठोस सबूत के अभाव में अतिरिक्त आरोपी को नहीं बुलाया जा सकता है। आरोपी को केवल तभी बुलाया जा सकता है जब विद्वान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से मजबूत और ठोस सबूत सामने आते हैं और उस मामले में, ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, न कि लापरवाही और लापरवाही से। अतिरिक्त आरोपी को मजबूत और ठोस सबूत के अभाव में धारा 319 सीआरपीसी के तहत लापरवाही और लापरवाही से नहीं बुलाया जा सकता है। धारा 319 सीआरपीसी के तहत, अतिरिक्त आरोपी को केवल तभी बुलाया जा सकता है जब आरोप तय करने के समय आवश्यक प्रथम दृष्टया मामला हो, लेकिन जो आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मुकदमे के समापन के समय आवश्यक संतुष्टि से कम हो। याचिकाकर्ताओं के नाम का खुलासा करना ही उन्हें धारा 319 सीआरपीसी के तहत मुकदमे के लिए मजबूत और पुख्ता सबूत नहीं कहा जा सकता है, खासकर ऐसे मामले में जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के तहत वैवाहिक विवाद से उत्पन्न हुआ हो। इसके अलावा, पति पहले से ही मुकदमे का सामना कर रहा है।

13. उपरोक्त तथ्यों, कारणों और विश्लेषण के मद्देनजर, यह न्यायालय पाता है कि दिनांक 04.06.2018 का आदेश कानून के अनुसार नहीं है। तदनुसार, जहाँ तक वर्तमान याचिकाकर्ताओं का संबंध है, सदर थाना मामला संख्या 92/2016 से उत्पन्न एस.टी. मामला संख्या 244/2017 में दिनांक 04.06.2018 को पारित आदेश, जो रांची में विद्वान अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त-III के न्यायालय में लंबित है, को अपास्त किया जाता है। विद्वान न्यायालय सूचनाकर्ता के पति के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही करेगा।

14. तदनुसार, इस याचिका को स्वीकार किया जाता है तथा इसका निपटारा किया जाता है।

15. इस न्यायालय द्वारा यदि कोई अंतरिम आदेश दिया गया था, तो उसे निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी)

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।